RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

हरियाणा में अम्बाला जिले के ग्रामीण आंचल में परिस्थितिजन्य बहुपत्नी प्रथा के अंतर्गत द्विवर विवाह का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

जोगिंदर

शोधकर्ता, समाजशास्त्र विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

भूमिका

धर्मशास्त्रों में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकृत है । समाज दर्शन की दृष्टि से समाज की प्रथम इकाई परिवार के सृजन में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है । सभी प्रकार के समाज में सामाजिक व्यवस्था के लिए विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में स्वीकृत है । धर्मशास्त्रों के समाज दर्शन में इसका शारीरिक, मानसिक,सामाजिक और धार्मिक महत्व है । आश्रम व्यवस्था में ब्रह्माचार्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी विवाह की है।मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पितृ–ऋण से उऋण होने के लिए, वंश परम्परा में निर्वाह के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए, पुरूषार्थों के सम्पादन के लिए और सुखमय जीवन निर्वाह के लिए विवाह आवश्यक है।सामाजिक मानदण्ड़ हर समाज में एक जैसे नहीं होते हैं । इसी कारण है कि यौन संबंधों की सामाजिक मान्यता कहीं पर एक विवाह के रूप में दिखाई देती है तो कहीं पर इसका स्वरूप बहु–विवाह का है।

वेस्टरमार्क (1891) द्वारा व्याख्या " के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो कि प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता है और उसमें इस संयोग में सम्मिलित होने वाले दोनों पक्षों तथा उनमें उत्पन्न बच्चों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का समावेश होता है" ।

हिंदू सामाजिक व्यवस्था में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है । **सर्वपल्ली राधाकृष्णन**(1926)के अनुसार विवाह एक ऐसी सहभागिता है, जिसमें धैर्य की आवश्यकता रहती है। यह कोई अनायास घटना न होकर एक गंभीर संस्कार है, जो गंभीर और नाशवान होने पर भी भक्ति और पारस्परिकता की भावना से अभिभूत होता है।**पी0 एन0 प्रभु** (1952) के अनुसार विवाह हिंदू के लिए एक संस्कार है एवं इस कारण विवाह संबंध में आबध्द होने वाले पक्षों का संबंध सांस्कारिक होना है, न कि समझौते के रूप में ।

हिंदू विवाह के स्वरूप

हिंदू विवाह के आठ स्वरूप प्रचलित हैं–ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्षविवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाहऔर पैशाचिक विवाह। इन आठ स्वरूपों में पहले चार प्रकार आदर्श माने गए हैं तथा अंतिम चार निम्न प्रकार के माने गए हैं। (प्रभु 1979: पृ0 153–154)

लेविरेट या द्विवर विवाह या परिस्थितिजन्य विवाह का अर्थ

विवाह का एक नियम जिसके अनुसार एक विधवा अपने मृतक पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है । बहुधा इस प्रकार के विवाह को पितृवंशीय व्यवस्थाओं में मृतक की वंश रेखा को चलाए रखने का एक तरीका या साधन माना गया है, जब मृतक की कोई संतान न हो । ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान सामाजिक रूप से मृतक भाई की मानी जाती है न कि जनक पिता की । भारतीय पौराणिक साहित्य में इस प्रथा को नियोग कहा गया है । विभिन्न समाजों में इस प्रथा के भिन्न–भिन्न रूप तथा इसके साथ जुड़े हुए दायित्वों में भिन्नता पाई गई है । यदि विधवा पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो यह ज्येष्ठ पति भ्राता विवाह कहलाता है । इसके विपरित पति के छोटे भाई से किया गया विवाह द्विवर विवाह या भाभी विवाह कहलाता है ।

रोबिशन (2002) के अनुसाार लेविरेट की अवधारणा लैटिन शब्द लेविर से बनी है जिसका अर्थ है पति का भाई । इसलिए लेविरेट अपने मृत भाई की विधवा से शादी करने की एक कर्तव्यपरायणता है यदि उस भाई से पुरूष उत्तराधिकारी ना हुआ हो ।

द्विवर विवाह या परिस्थितिजन्य विवाह व कारण:–देवर और भाभी का संबंध भी एक प्रिय संबंध है जिसमें परिवार की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और विनोद तीनों का समावेश है । यास्क ने तो देवर शब्द की व्याख्या करते हुए देवर को द्वितीयवर कहा है । (निरूक 3,15) प्राय धर्मशास्त्रों ने पति के अभाव में पुत्रहीन नारी को अपने देवर से नियोग कर पुत्र उत्पन्न करने की अनुमति प्रदान की है । किंतु धर्मशास्त्रकारों ने इस संबंध को मर्यादित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है कि नियोग का प्रयोग केवल पुत्रोत्पति मात्र के लिए किया जाना चाहिए, काम वासना की तृप्ति के लिए नहीं ।

परपूर्वा स्त्री अथवा पुनर्विवाह करने वाली स्त्री :– धर्मशास्त्रों में स्त्री के लिए पुनर्विवाह करना वर्जित है किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था । यद्यपि इस विवाह के बाद समाज में उसका स्थान

RRIJM 2015, All Rights Reserved

समान्यता निम्न स्तर का ही रहता था । ऐसी स्त्री को परपूर्वा स्त्री कहा जाता था । जिन विशेष परिस्थितियों में स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति प्राप्त थी उसमें पति का मर जाना, बहुत दिनों तक प्रवास में रहना, संबंध विच्छेद हो जाना या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाना प्रमुख थे । वैदिक साहित्य को देखने से तो ऐसा लगता है कि उस काल में पुनर्विवाह का प्रचलन था। धर्मशास्त्रकारों ने भी स्त्री को यह सलाह दी है कि पति के मरने पर अपने देवर को अपना पति बना ले । ऐसी स्त्री को पुनर्भू कहा जाता था ।

समाज सुधारक व परिस्थितिजन्य विवाह

भारतीय समाज में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्त्रियों की स्थिति के बारे में अनेक सुधार आंदोलन हुए उस समय प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विधासागर ने पुनर्विवाह के लिए आंदोलन शुरू किया । ईश्वरचंद्र विधासागर ने विधवा विवाह के समर्थन में लगभग लाखों हस्ताक्षरों वाला प्रार्थना पत्र तत्कालीन गर्वनर डलहौजी को दिया जिसके परिणामस्वरूप 1856 ई0 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दे दी गई । 1861 में बम्बई में विधवा पुनर्विवाह समिति का गठन किया गया। इस क्षेत्र में उन्होनें धोड़ों केशव कर्वे एव वीरेसलिंगम पुण्टलु ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। कर्वे ने पुना में 1899 ई0 में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। उनके प्रयास से ही 1906 ई0 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेद आदि के अनुवादित आधार पर द्विवरविवाह को नियोगविवाह भी कहते हैं।

विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों में द्विवर विवाह प्रणाली की प्रकृति व विस्तार

थारू जनजाति :– भारत में थारू जनजाति में पति–भ्राता विवाह का प्रचलन है । इस रीति के अनुसार थारु पुरूष अपने बड़े भाई की विधवा स्त्री या छोटे भाई की विधवा स्त्री से विवाह कर सकता है । थारू स्त्रियों का परिवार की सम्पति में हिस्सा रखा गया है और इस कारण सम्पति की रक्षा के लिए स्त्री को विधवा होने के बाद भी संरक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें यौन संबंधों की संतुष्टि व सम्पति की रक्षा, दोनों ही समान रूप से हो सके (शंकर व शर्मा 2009, पृ0 110)।

उरांव जनजाति :– उरांव समाज एक विवाही व पितृपक्षीय वंश परम्परा पर आधारित है । विवाह संबंध का आधार है – गौत्र । एक गौत्र वाले दूसरे गौत्र समूह जो कि प्रायः दूसरे गांव में रहते हैं, विवाह करते हैं । उरांव में विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है । प्रायः विधवा मृतपति के भाई की पत्नी स्वीकार कर ली जाती है इसे द्विवर विवाह कहते हैं (श्रीवास्तव 2012, पृ0 104)।

संथाल जनजातिः– संथाली भाषा में विवाह संबंध बापला कहलाता है । एक गौत्र वाले दूसरे गौत्र में ही विवाह करते हैं । इस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथाएं भी समाज में मान्य है । द्विवर और साली विवाह दोनों ही संथालों में प्रचलित है (श्रीवास्तव 2012, पृ0 108)।

सौरिया पहाड़िया जनजाति :– सौरिया पहाड़िया पितृवंशीय समाज है किंतु गौत्र का अभाव है । सामाजिक आधारशिला एकल परिवार है, परंतु कहीं कहीं विस्तृत परिवार भी देखे गए हैं जो कि विवाहित भाइयों व उनके संतानों से निर्मित होता है इसमें गौत्र प्रणाली नहीं होती है । एक कुल समूह के तीन पीढ़ियों तक के संबंधियों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होता । इस जनजाति में द्विवर भाभी विवाह मान्य है (श्रीवास्तव 2012, पृ0 119)।

सैद्वान्तिक परिपेक्ष्य

दुर्खीम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा को परिस्थितिजन्य द्विवर विवाह में भी देख सकते है। जब किसी परिवार में किसी पुरूष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उक्त पुरूष के बड़े भाई या छोटे भाई से विवाह करने हेतु सामाजिक दबाव बनाया जाता है । समाज में प्रचलित जनरीतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं, धर्म व सामाजिक नियम सभी सामाजिक तथ्य हैं । (दोषी व जैन, 2009 पृ0 148–150)

पारसंस (1951) ने सामाजिक व्यवस्था की लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, यथास्थितिवएकीकरण प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं का वर्णन किया है । ये पूर्व आवश्यकताएं सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक होने के साथ–साथ उसके अस्तित्व की रक्षक भी हैं । परिस्थितिजन्य द्विवर विवाह की प्रथा पारसंस के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के यथास्थिति नामक पूर्व आवश्यकता में पूर्ण रूप से सटीक बैठती है । जिस प्रकार से लेटेन्सी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, उसी प्रकार से द्विवर विवाह प्रथा परिवार में अनुकूलन को बनाए रखती है। जिससे परिवार नामक संस्था सचारू रूप से कार्य करती रहती है । पारसंस ने कहा कि परिवार में समाजस्य का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परम्पराएं, प्रथाएं तथा प्रथाओं के हस्तान्तरण द्वारा होता है । (दोषी व त्रिवेदी, 2013. पृ0 123–126)

मर्टन (1968) के अनुरूपता के विकल्प में सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा साधनों में + के निशान का प्रयोग किया है । मर्टन के अनुकूलन स्थापित करने वाले अनुरूपता के विकल्प को हम परिस्थितिजन्य द्विवर विवाह में भी देख सकते हैं । समाज के अधिकांश लोग प्रचलित नियम, कानूनों तथा प्रथाओं के अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं और द्विवर विवाह प्रथा भी अनुरूपता के द्वारा परिवार व समाज में अनुकूलन स्थापित करती है (सिंह, 2013.पृ0 397) ।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

साहित्य की समीक्षा

देवर विवाह की प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज के साथ–साथ विदेशी समाजो में भी पाई जाती है, इसलिए द्विवर विवाह से संबंधित साहित्य सर्वेक्षण को हम भारत से बाहर व भारतीय समाज में हुए अध्ययनों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं:–

विदेशी समाजों में देवर विवाह से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षणः

क्लर्क व बोरल (Clerk & Borel 1938) के अनुसार, लेविरेट विवाह एक प्रथा है जिसमें एक विधवा के वैवाहिक संबंध उसके मृतपति के वैधानिक विकल्प के साथ निरंतरता में रहते हैं ।

इस विवाह से पहले कुछ शर्तों की अनुपालना करनी होती है:–

1 प्रथा द्वारा प्राधिकृत विकल्प ही नियुक्त किया जाए तथा अपनी भूमिका निभाने में सहमत हो ।
2 विधवा अपनी पूरी सहमति अवश्य दें ।
3 वैवाहिक जीवन कम से कम एक वर्ष बाद शुरू किया जाए ।
4 विकल्प इस बात से उस औरत के परिवार को अवश्य अवगत कराए कि उसके वैवाहिक जीवन की शुरूआत फिर से होनी है ।
5 इस प्रकार के विवाह का दुर्भाव विभिन्न समुदायों के समाजों में भिन्न–भिन्न है जैसे काटम्भी (CATMBE) समुदाय में छोटे भाई की पत्नी से उससे बड़ा भाई विवाह नहीं कर सकता क्योंकि वह उसेटांते (Tatane)कहती है जिसका अर्थ है –पिता ।
6 इस प्रकार की प्रथा रोगा प्रथा में भी पाई जाती है जिसमें बड़े भाई की विधवा पदानुक्रम में उससे छोटे भाई से शादी करती है ।

लिन बैनेट (Lynn.Bennett 1983) ने अपने शोध में नेपाल के उच्च वर्ग/ जाति (जमीन मालिकों) में लेविरेट व्यवस्था द्वारा जनित पारिवारिक उठापटक का उदाहरण देते हुए बताया कि दोनों पत्नियों में पति को यौन रूप से आकर्षित करने से लेकर भोजन के बंटवारे तक द्वंद अक्सर सामने आता है और पत्नियां लैंगिक/ यौन रूप से प्रभावित कर पति की शक्तियों को मैन्युपुलेट करती है जिससे कि उसके हितों में अधिक से अधिक निर्णय हो सके ।**शोरटर (Shorter2001)** के अनुसार लेविरेट विवाह से उत्पन्न बच्चे दिवंगत पति के ही समझे जाते हैं । कुछ समुदायों में विधवा का परिवार यह खोजने की कोशिश करता है कि किस व्यक्ति को उस विधवा ने आवश्यक रूप से अपना पति बनाना है ।**बेमबोस ओलुईमिसी (Bamgbose, Oluyemisi2002)** ने नाईजीरियाई समाज को संदर्भित करते हुए पाया की देवर विवाह जो समाज में एक प्रथागत कानुन के तहत आज भी प्रचलित है, में एक परिवार का सदस्य एक विधवा महिला व उसके बच्चों को उत्तराधिकारी के रूप में उसे व उसकी संपति को प्राप्त करता है । बेमबीस ने इसे एच आई वी एडस को फैलाने वाला कारक मानते हुइ नाईजीरियाई समाज हेतु अपयश फैलाने वाला व हानिकारक माना है । **उचे ऊ इवेलयूकव (Uche Ewelukawa 2002)** ने अपने शोध के माध्यम से रेखांकित किया कि द्विवर विवाह प्रथा अफ्रिकी समाज में स्त्रियों में जो विधवा हो गई हैं स्थायित्व प्रदान करने (प्रायः मृत व्यक्ति के छोटे या बड़े भाई के रूप में या मृत व्यक्ति के सबसे बड़े लड़के के रूप में) व मृत व्यक्ति के भाई या अन्य पत्नी से उत्पन्न हुए सबसे बड़े पुत्र को मृत व्यक्ति की संपति प्रदान करवाने हेतु एक सामाजिक षड़यंत्र के रूप में अधिकतर नाइजीरियाई अफ्रिकी ग्रामीण समाज में प्रचलित व्यवस्था है । शिक्षा व नौकरियों के अवसर के कारण जो स्त्रियों रोजगार की दृष्टि से सबल हो गई हैं, उन स्त्रियों में यह विवाह करने की प्रवृति कम ही पाई जाती हैं ।**स्कवीमर (Schwimmer 2003)** के अनुसार लेविरेट विवाह का अन्य प्रकार मृत पति के चचेरे भाईयों के साथ भी विवाह का होना है जैसे साऊथ अफ्रिका जैसे देश में लेविरेट विवाह को ऊकनजेना कहा जाता है जहां इस प्रकार के विवाह महिलाओं में अधिकारों में जागरूकता के कारण कम होते जा रहे हैं । ऐसा कहा जाता है कि जुलु लोगों में बहुत समय पहले लेविरेट व भूत विवाह का प्रचलन था। **बेहमुक्का व बरोकिंगटन (Bahemuka,Brockington 2004)** कहते हैं कि लेविरेट विवाह में औरत को पुनः सामाजिक क्रियाशील जीवन में लाना होता है और वह औरत अभी अपने दिवंगत पति के परिवार में शादीशुदा मानी जाती है और उसका भविष्य भी वही परिवार तय करता है ।

भारतीय समाजों में द्विवर विवाह से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षणः

कर्वे (1965) ने पाया कि पुराने समय की भांति द्विवर विवाह की प्रथा उत्तर की बहुत सी जातियों में आज भी पाई जाती है । सामान्यतः ब्राह्मण, खत्री, कायस्थ और वैश्य अपने यहां इस प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। विधवा जाकर अपनी देवरानी के पास उसकी सपत्नी के रूप में रहने लगती है । उसे घर ''बैठेली बहन'' कहा जाता है । विधवा किसी अविवाहित या विधुर के घर रहकर उससे विवाह कर सकती है। **गजेटियर आफ इंडिया (1965)**में बताया गया है कि भारत की जनता के कुछ भागों में विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति मिली हुई है। हरियाणा के अहीरों कुछ जाटों , गुज्जरों उत्तरप्रदेश की अनेक जातियों तथा मैसूर के कोडगू लोगों में नियोग को भी स्वीकृति मिली है । नियोग विवाह के अंतर्गत पुरूष को भाई की विधवा के साथ विवाह करना होता है । हिंदुओं की कई जातियों में परंपरागत रूप से विधवा पुनर्विवाह स्वीकार्य और व्यवहृत है । केवल वे ही जातियां जो उच्चजातियों की जीवन शैली और मूल्यों को अपनाती हैं, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाती है । मुस्लमानों, ईसाइयों

और पारसियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है । जैनों में स्थानीय तथा जातिगत नियम इस विषय का निर्णय करते हैं।**शाकाम्भरी (1966) ने** बताया कि विधवा होना अपने पूर्वजन्म के बुरे कर्मों का फल माना जाता है । महिला अपने आप को अबला तथा कमजोर समझती है । इसलिए अपने पति को सबसे सशक्त संरक्षक के रूप में देखती है तथा उसकी मृत्यु उसके लिए गंभीर पीड़ादायक है।**बिदारकोपा, जी एस (Bidarkoppa. G.S 1971)** के अनुसार भारत में अभी भी महिला अपने पति पर निर्भर है। उसकी अपनी स्वयं की कोई पहचान नहीं है क्योंकि यहां पुरूष प्रधान समुदाय है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है वह इस परिस्थिति में असहाय है, तथा आर्थिक संपति संबंधी व अनेक समस्याएं उसके सम्मुख होती हैं । उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसका जीवन आर्थिक असमंजस की स्थिति में रहता है तथा वे परम्परागत तौर–तरीकों पर ही निर्भर रहती है जैसे संयुक्त परिवार व विधवा गृह आदि। **वीणा दास ने (1975)** रेखांकित किया कि पाकिस्तान युद्ध 1971 व 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु से उत्पन्न हुए दंगों के पश्चात में युद्ध जनित विधवाओं को उनके सास, ससुर, जेठ द्वारा बाध्य किया गया कि जब तक उनके द्विवर विवाह योग्य न हो जाए वे अपनी सुसराल में ही रहें, परिणामतः विधवाओं के सामाजिक दबाव वश अपने से अधिक उम्र (कई बार तीन गुणा तक)पुरूष से विवाह करने हेतु बाध्य होना पड़ा।**इंद्रा (1987)** के अनुसार बचपन में एक लड़की अपने पिता पर, युवती होने पर अपने पति पर और उसके पति की मृत्यु होने पर अपने बेटे पर, यदि उसका पुत्र नहीं है तो उसके पति के नजदीक के नातेदारी वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। **नगेश और काटी (1987)** के अनुसार 30 प्रतिशत ग्रामीण एवं 10 प्रतिशत शहरी विधवाएं अपने माता पिता के साथ रह रही हैं । विधवा होने के पश्चात् महिलाओं की धार्मिक उत्सवों में भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 97 प्रतिशत से 43 प्रतिशत और शहरों में 64 से 58 प्रतिशत हो गई है । अधिकतर विधवाओं को भोजन निवास, परिधान, शिक्षा एवं उनके बच्चो की शादी आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । केवल 10 प्रतिशत ग्रामीण एवं 2 प्रतिशत शहरी विधवाओं द्वारा बताया गया है कि उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। **प्रेम चौधरी(1994)** ने कहा कि हरियाणा में व पंजाब में विधवा महिलाओं को जमीन की तरह संसाधनों के तौर पर देखते हुए दो प्रकार के विवाह प्राय लेविरेट (देवर विवाह) व करेपा (जिसमें देवर व जेठ) दोनों में से जिसकी उपलब्धता हो का प्रचलन रहता है । छोटा देवर जो विधवा से बहुत छोटा होता है विधवा की इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती विवाह करवा दिया जाता है, जिसके बाद परिवार के अन्य पुरूष व्यक्ति (जेठ या ससुर) द्वारा शोषण व महिलाओं द्वारा अन्य प्रकार के शोषण की शिकार बनाया जाता है ये प्रथाएं बहुपत्नी विवाह को आज भी जिंदा बनाए रखते हुए (पति मृत्यु होने के अलावा पहली पत्नी के साथ होने पर या पत्नी से केवल लड़कियां उत्पन्न होने पर) शोषक समाज को खिड़की प्रदान करते हैं लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने विधवाओं ने इस शोषण के षडयंत्र से बाहर आने व पति की मृत्यु हो जाने के बाद पति की संपति का संचालन स्वयं करने के साथ–साथ अपनी इच्छा से जीवन साथी ढूंढ़ने के अधिकार को प्रदान करके विधवाओं के जीवन में गुणवतायुक्त सुधार करके सही मायने में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। **अगस्टाईन(Augustine 2002)** नेकहा कि दुनिया के अन्य भागों की अपेक्षा भारत में विधवाएं अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक समस्याओं का सामना करती हैं, जबकि आधुनिक समय में विधवाएं सती नहीं होती । परंतु फिर भी उन्हें अनेक सामाजिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदु धार्मिक व्यवस्था में विधवा के प्रति नकारात्मक विचार रखे जाते हैं। **मजूमदार व मदन (2012)ने** रेखांकित किया की पति की मृत्यु के बाद पत्नी को हर्जाने या क्षतिपूर्ति के तौर पर मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर दिया जाता है, व इस प्रकार के विवाहों में अतःपारिवारिक बाध्यताओं व वैवाहिक मान्यताओं जो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच संबंधों का सुदृढ़ीकरण करती है, पर जोर दिया जाता है। **अंजी व वैल्नरी (Anji and Velunari 2013)** ने पाया कि सत्तात्मक समाज में विधवाओं द्वारा अनेक कठोर नियम एवं प्रतिबंधों का पालन किया जाता है, किंतु समकालीन समाज में भी यह सब अभ्यासरत है । 79.27 शहरी प्रतिशत एवं 81.6प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि समाज में विधवाओं के साथ भेदभाव एवं सदिग्ंध व्यवहार किया जाता है । ग्रामीणों के अलावा अधिकतर शहरी लोगों द्वारा भी विधवाओं को सामाजिक समर्थन नहीं दिया जाता । अनुसंधानकर्ता ने बताया कि आज के समय में भी हमारे समाज में विधवाओं को वस्त्र, भोजन, गहने, परिवार में भागीदारी, सामाजिक कृत्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध को झेलना पड़ता है । कौर (2016) ने अपनेकारगिल विधवाओंकेअध्ययन में बताया कि 86.67 प्रतिशत विधवाओं के सामाजिक स्तर में परिवर्तन पाया गया । 34.46 प्रतिशत विधवाओं ने कहा कि कारगिल पैकेज उनके पति की मृत्यु के पश्चातवे खालीपन को भरने में सक्षम नहीं हैं । 10 प्रतिशत विधवाओं ने कहा कि उनके बच्चे रिश्तेदारों के बहकावे में आकर उनका सम्मान नहीं करते । कारगिल युद्ध विधवाओं द्वारा बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है । उन्होनें बताया कि सरकार द्वारा वीर नारी घोषित किया जाना उनका समाज में सम्मान बढ़ाता है । उनके पति की मृत्यु का शोक उन्हें उदासीन बना देता है ।

शोध के उद्देश्य

इस शोध कार्य के निम्न उद्देश्य उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति वउत्तरदाताओं में परिस्थितिजन्य विवाह की उत्तरदायी परिस्थितियों की समस्या व प्रकृतिको

जाननातथापरिस्थितिजन्य द्विविवाह के अंतर्गत आने वाले उत्तरदाताओं के सामाजिक सामजस्य का विश्लेषण करनाहै।

शोध प्रविधि

यह शोध गुणात्मक प्रकार का है।इस शोध में उत्तरदाताओं का अध्ययन करने के लिए अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग कियागयाहै। अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प व प्ररचना है जिसका उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना अर्थात तथ्यों के बारे में नवीन अर्न्तदृष्टि प्राप्त करना ताकि यथार्थ समस्या का निर्माण किया जा सके ।

शोध क्षेत्र व निदर्शन विधि

शोध कार्य का क्षेत्र या समग्र उत्तरी हरियाणा से अम्बाला है,अम्बाला जिले में द्विवर विवाह प्रथा के अंतर्गत विवाहित 10 परिवारोंकेउत्तरदाताओं का चयन उनकी उपलब्धता के अनुसार उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया किया गयाहै। इसमें केवल उन उत्तरदाताओं का चयन किया गयाहै जिनका परिस्थितिजन्य द्विविवाह हुआ है और उनका वर पहले से ही विवाहित है और पहली पत्नी जीवित भी है । शोध कार्य की वांछित सूचनाएं साक्षात्कार वअवलोकन विधि के माध्यम से एकत्रित कीहैं। शोध के दृष्टिकोण से मिली कुछ अधिक महत्वपूर्ण जानकारी का वैयक्तिक अध्ययन भी किया गयाहै।

शोध का महत्व

उपरोक्त साहित्य के सर्वेक्षण आधार पर हम कह सकते है कि विधवा विवाह व द्विवर विवाह पर बहुत अध्ययन हुए हैं, परंतु हरियाणा जैसे प्रदेश में इस प्रकार के विवाह पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं, क्योंकि मेरा अध्ययन उन उत्तरदाताओं पर केंद्रित है, जिनका परिस्थितिजन्य द्विविवाह हुआ है और उनके वर्तमान पति की पहली पत्नी भी जीवित है । मेरा अध्ययन एक त्रिकोण दृष्टिकोण से परिस्थितिजन्य विवाहित पति, पत्नी व उसकी पहली पत्नी, तीनों का ही अध्ययन है कि उनकी सामाजिक सामजस्यता वअनुकूलनशीलता क्या है ?किस प्रकार का परिवर्तन सामाजिक जीवन में परिस्थितिजन्य विवाह लेकर आया है ?

निष्कर्ष

प्राप्त किए गये आंकड़ों से यह पाया गया कि ये विवाह परिवार में आकस्मिक तौर पर उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों के परिणामस्वरूप किए गए विवाह है कि जिसमें उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति से कोई लेना–देना नहीं है। क्योंकि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने द्विवर विवाह किए जो कि उच्च सामाजिक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि निम्न वर्ग में द्विवर विवाह करने वालों का प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत रहा तथा 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने द्विवर विवाह अपने जीवन साथी की मृत्यु के उपरांत परिस्थितिवश अपने घर वालों की सहमति से किया। जिसमें अधिकांश महिलाएं ये मानती हैं कि उनकी समाज में परिस्थिति निम्न हो गई है। शोध के अनुसार पाया गया कि जिन उत्तरदाताओं का द्विवर विवाह हो चुका था उनको सामाजिक सामंजस्य में कठिनाई हुई। क्योंकि पूर्व पत्नी दूसरी पत्नी को अपनी सौतन के रूप में देखती है तथा वे अपने बच्चों तथा दूसरी पत्नी के बच्चों में भ`दभाव करती है जो उस परिवार में पारिवारिक कलह को जन्म देती है। शोध मे यह पाया गया कि द्विवर विवाह प्रथा उच्च जाति जैसे ब्राहम्ण, बनियो में प्रचलित नहीं है। जबकि मध्यम व निम्न वर्ग की जातियों जैसे जाट, गुर्ज्जर, बिश्नोई, नाई व हरिजनों में पाई जाती है। उत्तरदाताओं के अनुसार चूंकि यह विवाह मजबूरीवश करना पड़ता है इसलिए 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण इस विवाह के प्रति नकारात्मक ही रहा अतः कहा जा सकता है कि मजबूरीवश उत्पन्न हुई परिस्थितियों के तौर पर यह विवाह सामाजिक समायोजन व उत्पन्न हुए खालीपन को भरने में अग्रगामी भूमिका निभाता है।

हरियाणा में इस प्रकार के विवाह को अनेक नामों से जाना जाता है जैसे देवर विवाह, करेपा, लत्ता उढ़ाना, व बैठेली बहन कहा जाता है। अतः कहा जासकता है कि द्विवर विवाह अपने सबसे सकारात्मक रूपमें विधवा व उसके बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करताहै। यह सुनिश्चित करता है कि विधवा महिला के पासएक पुरूष प्रदाता व रक्षक मौजूद है । द्विवर विवाह उनसमाजों में सकारात्मक रूप से प्रचलित हो सकता हैजहां महिलाओं को पुरूष पर आश्रित रहना पड़ता है।

संदर्भ सूची

1 कर्वे, इरावती (1990)."भारत में बंधुत्व संगठन." हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ, पृ0 129–132

2 शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेंद्र कुमार (2004). मानशास्त्र. एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली.

3 जैन, शोभिता (2004). भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी. रावत पब्लिकेशन, जयपुर.

4 शर्मा, के0 एल (2006). भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन. रावत पब्लिकेशन सेक्टर–3, जयपुर.

5 रावत, हरिकृष्ण (2006). उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोष. रावत पब्लिकेशन. जयपुर.

6 अग्रवाल, गीता रानी (2008). भारतीय सामाजिक दर्शन (धर्मशास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में). न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन, जवाहर नगर, दिल्ली.

7 इग्नू, (2008). ई एस ओ – 12, खण्ड 2 पृ0 41–42

8 उपाध्याय, विजय शंकर व शर्मा, विजय प्रकाश (2009). भारत की जनजातीय संस्कृति. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी. भोपाल.

9 इग्नू .(2009). ई एस ओ12 भारत में समाज–सामाजिक संगठन. एम0 पी0 डी0 डी0, नई दिल्ली

10 इग्नू (2009) ई एस ओ12भारत में समाज–भारत में जनजातियां. एम0 पी0 डी0 डी0, नई दिल्ली.

11 श्रीवास्तव, ए0 आर0 एन0 (2012).जनजातीय संस्कृति. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी. भोपाल.

12 पाटिल अशोक डी0 व भदौरिया, एस0 एस0 (2012). समाजशास्त्र. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल.

13 गुप्ता, एम0 एल0 व शर्मा डी0 डी0 (2013) समाजशास्त्र. साहित्य भवन, आगरा.

14 सिंधी, नरेंद्र कुमार व गोस्वामी, वसुधाकर (2013).समाजशास्त्र विवेचन. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी. जयपुर.

15 तातेड़, सोहन राज व नांदल, सुशील (2015).भारतीय समाजः संरचना एवं परिवर्तन. अनु प्रकाशन धमाणी मार्केट की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर.

16 पाटिल, अशोक डी0 व भदौरिया, एस0 एस0 (2016). भारतीय समाज. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

17 इग्नू (2016). ई एस ओ 15.समाज और धर्म–धार्मिक बहुलवाद–2, एम0 पी0 डी0 डी0, नई दिल्ली.

18 सरस्वती, महर्षि दयानंद (2018).सत्यार्थ प्रकाश. परोपकारिणी सभा दयानंदाश्रम, केसरगंज, अजमेर. संस्करण :41, पृ0 98–102

19 Anji. A, & Velumani, K (2013). "Contemporary social position of widowhood among Rural and Urban Area special Reference to Dindigal District.'' International Journal of Advancements in Research & Technology. Vol.

20 Atter Chen, Martha and Dreze, Jean (1992). "Widowhood and their well Being in North India." Palanpur Press, Uttar Pradesh.

21 Augustine (2002). "Christian Widowhood in India." Paper Presented in National seminar on widowhood in India by CGS Trivandrum.

22 Bahemuka, JM, Brockington JL (2004). "East Africa in Transition. Image, Institutions and Identities". Nairobi, Kenya: University of Nairobi Press.

23 Bamgbose, Oluyemisi (2002). "Customary law practice and Violence against women: the position under the Nigerian legal system." Paper presented at 8th International Interdisciplinary Congress on women. Hosted department of Women and Gender Studies, University of Makerere.

24 Bidarkoppa, G.S (1971). "Position and problem of Hindu widows". Journal of Karnataka University, Social science, vol. 7 page no 80.

25 Clerk A, Borel H (1938) 2011. "The Marriage of the Ronga tribe." Bantu Studies.12(1). pp.75-104

26 Dually, David(1990). Social Research Methods, London, Prantice Hall.

27 Durkheim, E.(1938) The Rules of Sociological Method. The Free press, New york.

28 Fairchild, H.P (1994). Dictionary of Sociology. Rowman and little field publishers.

29 Indra, Devi M (1987). "Women, Education and Employment Family Living." Crian Publising House, Delhi,pp 130-132.

30 Jayal, Snakambari (1966). "The status of women in The Epics." Moti Lal Banarsidas Publishers, Delhi

31 Kaur, Nav shagan Deep Kaur (2016). "Kargil was widows of Punjab A Socio-Economic and Psychological perspective." SBW Publishers, Delhi.

32 Lynn.Bennett (1983). "Dangerous wives and sacred sisters: social and symbolic tales of high caste women in Nepal, pp187-200

33 Majumdaar, D N and Madan.T N(2012). "An Introduction to Social Anthropology." Mayur. Paperback, pp 72

34 Merton, R.K (1968). Social Theory and Social Structure. New York: Free press.

35 N. S. Kumari Krishna (1987). "Status of Single women in India-Spinsters, Widows and Divorced (Working and Non working)." Uppal Publishing House, New Delhi

36 Nagesh,H. V. and Katti, A. P. (1987). "Socio-Economic Status of widows." Ashish Publishing House, New Delhi

37 Parsons, T.(1951). The Social System. New york: Free press

38 Prabhu, P.H. (1952) Hindu Social Organization. Popular prakshan.

39 Pratima K. Chaudhary(1988). "Changing Values among Young Women." Amar Prakashan, New Delhi PP.90-91

40 Prem Chaudhary (1994). "Widow Remarriage in Haryana: Law strengthens repressiveness of popular culture." Manushi, May-June(82) pp.12-18.

41 Radhakrishna, S. (1926). The Hindu View of the life. The Machuilan co., New York

42 Robison MA(2012). Polygamy. Published on 12 May 2006andretrieved from <http://blaineroboson com/concerms/ polygamy htm>.

43 Schwimmer, B(2003). "Levirate Marriage." retrievedfrom <http://www.umanitoba.ca/marriage/levirate.html).

44 Shorter, A. (2001). "African Culture: An overview." Nairobi, Kenya. Pauline Publication.

45 Westermark, Edward.(1891). The History of human Marriage. Macmillan and co, London.

RRIJM 2015, All Rights Reserved